न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2023	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल की तलवी हेतु जारी नोटिस अदम तामील प्राप्त। नोटिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली दौसा की रिपोर्ट एवं संलग्न मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार गैर सायल रमेश चन्द महावर पुत्र ग्यारसीलाल की मृत्यू दिनांक 17.03.2022 को हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा गैर सायल रमेश चन्द महावर के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 को चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अतः गैर सायल रमेश चन्द महावर पुत्र ग्यारसीलाल के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत किया गया इस्तगासा खारिज किया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख अफ्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुरेश कुमार) अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official